



हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ चयन परीक्षा

RULE BOOK

2020-21

**NATIONAL HEALTH MISSION,
MADHYA PRADESH, BHOPAL**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. के अंतर्गत
सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ चयन परीक्षा
के लिए

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता :

- अ. भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.या जी.एन.एम.उत्तीर्ण उम्मीदवार।
 - ब. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवार।
 - स. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स।
-
2. परीक्षा शहर :एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट पर दर्शाये अनुसार।
 3. आवेदन—पत्रों की उपलब्धता :दिनांक.....से 2019 तक

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम 2020-21

1. सामान्य :-

- 1.1 ये नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ के प्रोग्राम स्टडी सेन्टरमें प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम कहलायेंगे।
- 1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ के विभिन्न प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रवेश चाहते हैं।
- 1.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा आधार पर कार्यरत उम्मीदवारों का चयन होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश होने के पूर्व उन्हे अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देना होगा। यह परीक्षा नियमितीकरण के लिए नहीं है।

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में –

1. टेस्ट से तात्पर्य है **CERTIFICATE COURSE IN COMMUNITY HEALTH SELECTION TEST**/सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ चयन परीक्षा।
2. आरक्षित वर्ग से तात्पर्य है 4 वर्गों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गएवं विकलांग।
3. विभाग से तात्पर्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।

3. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं :-

- 3.1 भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली अथवा मध्यप्रदेश उपचर्या परिषद (MP Nursing Council) से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. या जी.एन.एम. उत्तीर्ण उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में पंजीकृत हो। अन्य राज्यों से बी.एस.सी. नर्सिंग /पोस्ट बेसिक बी.एस.सी./ जी.एन.एम. उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में पंजीकृत करने के लिए चयन के बाद तीन माह का समय दिया जायेगा।
- 3.2 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश आयुर्वेद, युनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत हो। अन्य राज्यों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश आयुर्वेद, युनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत करने के लिए चयन के बाद तीन माह का समय दिया जायेगा।
- 3.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स।
4. **आयु सीमा:-** 21-40 वर्ष दिनांक 01/01/2020 की स्थिति में। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित) के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
स्पष्टीकरण:- आयु-सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

5. निर्हताएः :-

- 5.1 निम्न संस्थाओं से उत्तीर्ण B.Sc. Nursingमान्य नहीं होगा :-
 - 1 इंदिरा गौधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)
 - 2 भोज विश्वविद्यालय
 - 3 स्वाध्यायी अथवा Distance Learning विधि से शिक्षा प्राप्त।
- 5.2 किसी उम्मीदवार की ओर से उम्मीदवार के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए अयोग्य माना जायेगा।
- 5.3 मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत सेवारत नियमित स्टॉफ नर्सेस अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के लिये पात्र नहीं हैं।
- 5.4 परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगे।
- 5.5 फर्जी दस्तावेज़ / दस्तावेज़ में फेरबदल किया हो/ चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो/ सारभूत जानकारी छुपाई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।
- 5.6 पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण करायाहो तो परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- 5.7 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में विचारित है अथवा विभागीय जॉच लंबित है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह होगा।
- 5.8 जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में यह प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हैं उन्हें पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं है।

6. चयन प्रक्रिया :-

- 6.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रशिक्षण में चयन हेतु एम.पी. ऑनलाईन मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा ऑनलाईन चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसका शुल्क अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।
- 6.2 प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन करते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे। (**परिशिष्ट –‘अ’**)
- 6.3 अभ्यर्थियों द्वारा एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षा केन्द्र चयन करने हेतु च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया की जायेगी।
- 6.4 लिखित परीक्षा की दिनांक के लिए उम्मीदवार एम.पी.ऑनलाईन वेबसाईट द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6.5 प्रश्न पत्र में 100 **Mutiple Choice Questions** होंगे। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होगी।
- 6.6 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये एम.पी.ऑनलाईन द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चयन हेतु रैंकिंग (मेरिट सूची) इन्हीं अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- 6.7 उक्त मानदण्डों के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल पदों की संख्या से कम होने पर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंकों की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- 6.8 समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगा।
 - 6.8.1 जिस अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।
 - 6.8.2 समान उम्र होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का कार्यानुभव ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।

- 6.8.3 समान कार्यानुभव होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का स्नातक में ज्यादा अंक होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।
- 6.8.4 अन्य राज्यों से आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश दिया जायेगा।
- 6.9 **परीक्षा केन्द्र** :-एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट पर दर्शाये अनुसार।
- 7. प्रोग्राम स्टडी सेन्टर :-**
- 7.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हैल्थ के प्रशिक्षण के लिये परिशिष्ट - 'ब' अनुसार प्रोग्राम स्टडी सेन्टर चिह्नित हैं। मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में इन केन्द्रों तथा दर्शायी गई प्रशिक्षण क्षमता में परिवर्तन किया जा सकेगा।
 - 7.2 प्रवेश परीक्षा के आवेदन में प्रोग्राम स्टडी सेन्टर के स्थान चयन के विकल्प उपलब्ध रहेंगे जिन्हे उम्मीदवार पसंद अनुसार क्रम में भरेंगे।
 - 7.3 प्रोग्राम स्टडी सेन्टर परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर आवंटित किये जायेंगे।
 - 7.4 आवंटन के पश्चात प्रोग्राम स्टडी सेन्टर का स्थान अपरिवर्तनीय होगा।
- 8. प्रवेश प्रक्रिया :-**
- 8.1 परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात एम. पी. ऑनलाईन www.mp.online के माध्यम से उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
 - 8.2 मेरिट के आधार पर प्रोग्राम स्टडी सेन्टर आवंटित किया जावेगा।
 - 8.3 आवंटन पूर्णतः प्रावधिक (**Provisional**) होगा एवं प्रवेश हेतु पात्रता अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत पात्रता के निर्धारण पर आधारित होगा।
 - 8.4 प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत प्रवेश मान्य किया जावेगा।
- 9. प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश :-**
- 9.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु 06 माह के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के माध्यम से बंध-पत्र (Bond) निष्पादित किया जायेगा।
 - 9.2 इन्ह का पंजीयन शुल्क, रहने एवं भोजन का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा वहन किया जावेगा। छात्रावास सुविधा ना लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भोजन एवं आवास व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित राशि प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से मासिक आधार पर प्रदाय की जायेगी।
 - 9.3 प्रशिक्षण अवधि में शासन द्वारा अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय/स्टाइपेंड प्रदान नहीं किया जायेगा।
 - 9.4 प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 15 दिन के अन्दर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स के रूप में चिह्नित उपस्वास्थ्य केन्द्र अस्थायी रूप से पद स्थापना हेतु अभ्यार्थियों द्वारा चयन किया जाना अनिवार्य है।
- 10. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हैल्थ में प्रशिक्षण हेतु अन्य निर्धारित दिशा निर्देश :-**
- 10.1 प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रवेश के लिये स्वयं अपने आवंटन पत्र, आवश्यक मूल दस्तावेज एवं कोर्स हेतु निर्धारित शुल्क के साथ विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत होना होगा।
 - 10.2 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में प्रवेश के समय आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में निम्न मूल प्रमाण-पत्र एवं स्वयं सत्यापित छायाप्रतियां साथ में लाना अनिवार्य है :-
- 10.2.1 बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी., जी.एन.एम. एवं बी.ए.एस.उत्तीर्ण अंकसूची।

- 10.2.2 10वीं की उत्तीर्ण अंकसूची ।
- 10.2.3 रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसिल / मध्यप्रदेश आयुर्वेद, युनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र ।
- 10.2.4 नवीन पासपोर्ट साईज का सत्यापित फोटों ।
- 10.2.5 रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर राशि रूपये दो लाख का बंध पत्र जिसमें प्रवेश पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम तीन वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख हो ।
- 10.2.6 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्य प्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण—पत्र ।
- 10.2.7 मूल निवासी प्रमाण—पत्र ।
- 10.2.8 मेडीकल फिटनेस प्रमाण पत्र । न्यूनतम एम.बी.बी.एस चिकित्सक द्वारा, प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व 15 दिवस के भीतर जारी किया हुआ ।
- 10.2.9 संविदा आधार पर कार्यरत स्टॉफ नर्स की नियुक्ति का प्रथम दिनांक एवं बंध—पत्र (Bond) नवीनीकरण आदेश ।
- 10.2.10 अनुभव प्रमाण पत्र ।
- 10.2.11 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ चयन परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति ।
- 10.3 किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माने जायेगा एवं प्रवेश नहीं दिया जावेगा । इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा ।
- 10.4 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को दो अवसर प्रदान किये जायेंगे । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रशिक्षण के दौरान परीक्षा के प्रथम अवसर तक ही आवास एवं भोजन, परीक्षा शुल्क आदि अन्य संबंधित व्यय का वहन किया जायेगा ।

11 प्रवेश रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् प्रमाण—पत्र फर्जी पाये गये एवं चूकवश प्रवेश मिल गया हैं तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा । प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा ।

12. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्य सम्पादन, अनिवार्य:-

- 12.1 प्रशिक्षण में प्रवेश के समय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर 03 वर्ष निरंतर कार्य सम्पादन के लिये सहमति का राशि रूपये दो लाख का बंध—पत्र (Bond) राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 12.2 सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी को संविदा आधार पर कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में कार्य करने हेतु आदेशित किया जावेगा । इस दौरान इन्हें एन.एच.एम. मध्य प्रदेश के निर्धारित मानदेय रु 25,000/-—प्रतिमाह के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम रु 15,000/-—प्रतिमाह तक प्रदान की जावेगी ।
- 12.3 प्रशिक्षण में उत्तीर्ण ना होने पर प्रशिक्षणार्थी को एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा । इस दौरान उन्हे कोई भी मानदेय या कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं की जावेगी ।

13. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतु चयन एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थापना के लिये नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. अंतिम प्राधिकारी रहेगा।
14. प्रवेश प्रक्रिया नियमों में संशोधन का अधिकार :—
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन मान्य करना बंधनकारी होगा।
15. प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :—
सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट – ‘स’ में दिये गये हैं।

सर्टिफिकेट इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रशिक्षण हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं का पासपोर्ट
साईज फोटो
अपलोड करें

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. उम्मीदवार का नाम | — | |
| 2. पिता / पति का नाम | — | |
| 3. जाति (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति) | — | |
| 4. जन्मतिथि (10वीं की अंकसूची) | — | |
| 5. व्यवहारिक पता | — | |
| 6. आधार नम्बर | — | |
| 7. इम्प्लॉयी कोड न.(संविदा आधारित स्टाफ नर्स) — | — | |
| 8. संविदा प्रथम कार्य आदेश दिनांक | — | |
| 9. ई-मेल आई डी | — | |
| 10. मोबाइल नम्बर | — | |
| 11. अर्हताकारी परीक्षा (बी.एस.सी.नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. / जी.एन.एम. / बी.ए.एम.एस.) उत्तीर्ण करने का वर्ष
एवं संस्था का नाम | — | |
| 12. कार्यानुभव | — | |
| 13. नर्सिंग काउन्सिल / भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का वैध पंजीयन दिनांक — | — | |
| 14. प्रशिक्षण हेतु चाहा गया प्रोग्राम स्टडी सेन्टर | — | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |
| 17. | | |
| 18. | | |
| 19. | | |
| 20. | | |
| 21. | | |
| 22. | | |
| 23. | | |
| 24. | | |
| 25. | | |
| 26. | | |
| 27. | | |
| 28. | | |

29.....
30.....
31.....
32.....
33.....

समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वयं सत्यापित कर अपलोड करें।

आवेदक का नाम—

हस्ताक्षर —

जिला —

घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्रनिरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करती हूँ कि मुझे किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

दिनांक

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ हेतु सीटों का विवरण

क्र.	प्रोग्राम स्टडी सेन्टर का नाम	कुल सीटों की संख्या
1	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	60
2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	60
3	जी.एन.एम.टी.सी. रायसेन	60
4	जी.एन.एम.टी.सी. विदिशा	60
5	जी.एन.एम. टी.सी. दतिया	60
6	जी.एन.एम. टी.सी. देवास	60
7	जी.एन.एम. टी.सी. सिवनी	60
8	जी.एन.एम.टी.सी. झाबुआ	60
9	जी.एन.एम.टी.सी. मंदसौर	30
10	जी.एन.एम.टी.सी. राजगढ़	30
11	जिला चिकित्सालय धार	30
12	जिला चिकित्सालय सागर	60
13	जिला चिकित्सालय रतलाम	30
14	जिला चिकित्सालय भिण्ड	60
15	जिला चिकित्सालय शिवपुरी	30
16	जिला चिकित्सालय शहड़ोल	60
17	जिला चिकित्सालय सतना	60
18	जिला चिकित्सालय भोपल (जे.पी. हॉस्पिटल)	60
19	प्रज्ञान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	60
20	पिपुल्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	60
21	RHFWTC इन्दौर	60
22	RHFWTC ग्वालियर	60
23	RHFWTC जबलपुर	60
24	SIHMC ग्वालियर	60
25	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रीवा	60
26	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	60
27	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंन्दौर	60
28	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	60
29	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय ग्वालियर	60
30	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय सागर	60
31	चिरायु कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	60
32	औरोबिन्दो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इन्दौर	60
33	चौयथराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इन्दौर	60
कुल सीट		1830

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते

1. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रशिक्षण की अवधि 06 माह की होगी।
2. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी होगा।
3. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रोग्राम स्टडी सेन्टर से दूसरे प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है।
4. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी उम्मीदवार के लिये अनिवार्य होगा।
5. प्रशिक्षण में प्रवेश के समय उम्मीदवार को राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख रूपये) का बंध—पत्र (Bond) निष्पादित करना अनिवार्य है। यह अनुबंध प्रवेश उपरांत प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष तक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्य सम्पादन के लिये प्रभावी होगा।
6. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर अथवा प्राचार्य की शिकायत के आधार पर उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित करने का अधिकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. को होगा।

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश